

(b) The recruitment rules for different posts in the Prosecution Agency in Delhi are being finalised in consultation with the Union Public Service Commission. Only after these rules are finalised and notified the incumbents of these posts can be regularised. As stated in (a) above, the salary structure of the post have already been revised in accordance with the recommendations of the Third Pay Commission.

Missing of Defence Official

418. SHRI D. AMAT:
SHRI YADVENDRA DUTT:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news appearing in the Hindustan Times dated 30th August, 1977 that a senior I.A.S. officer of the Ministry of Defence was missing for over five weeks; and

(b) if so, what is the reaction of the Government when Defence official is missing ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). Yes, Sir. Shri I. C. Bansal, an officer of the Central Secretariat Service and Deputy Secretary in the Defence Ministry has been missing since 20-7-1977. A Letter has been received from him saying that he has joined the order of Sanyasis. The matter was reported to Intelligence Bureau and the local police. Efforts to trace him have not been successful, so far.

Ad-hoc Import Licence to Coca Cola Export Corporation

419. PROF. R. K. AMIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) under what policy Coca Cola Export Corporation was recommended ad-hoc import licence; and

(b) value of export by Coca Cola Export Corporation during the preceeding 12 months ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) The replenishment entitlement of Coca Cola Export Corporation was reduced from 20% to 4.5% of the F.O.B. value of exports in April, 1971. Following this, the Company represented to Government that it should be given Actual Users' Licence for import of ingredients for the manufacture of concentrates for domestic sales. Thereafter an inter-Ministerial Committee was

set up in July 1972 to determine the quantum of imported material to be allowed to the Company for indigenous production. The Committee fixed the Actual Users' entitlement at Rs. 16 lakhs per annum. It was subsequently decided to reduce the value of Actual Users' Licences by 5.5% per annum commencing from 1974-75. However, no ad hoc import licences have been issued to the Company after December 1976.

(b) The value of export by Coca Cola Export Corporation during 1976 was Rs. 2.94 lakhs.

अग्निम जमानत की व्यवस्था वाले उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव

420. श्री ईश्वर चौधरी :
श्री हुकम देव नारायण यादव :
श्री के० मालना :
श्री एस० एल० सोमानी :
श्री बघालार रवि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य में गिरफ्तारी से बचने के लिए लोगों को दी जाने वाली अग्निम जमानत से संबंधित धाराओं में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

1971 जनगणना के विभिन्न आंकड़ों को वर्गीकृत करना

421. श्री राघवजी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की भारतीय जनगणना के विभिन्न आंकड़ों के संकलन तथा वर्गीकरण संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी किसी प्रकार का कार्य पूरा किया जाना है और इसे कब पूरा किये जाने की संभावना है ;

(ग) 6 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी जनगणना के कार्य को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और कार्य के तुरन्त पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनमें से उनकी संख्या कितनी है, जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) (I) रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या 552 है ।

(इसमें 64 वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो दूसरी सेवाओं और संवर्गों से लिए गए हैं, इसमें प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी भी शामिल है)

(II) इनमें उन कर्मचारियों की संख्या जो पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं 311 हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पार्श्विक (लेट्रल) सड़क परियोजना

422. श्री हुकम देव नारायण यादव : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षा की दृष्टि से और परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने का है ;

(ख) क्या कई वर्षों से पार्श्विक (लेट्रल) सड़क परियोजना लंबित है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को लागू करने का है ; और

(ग) क्या पार्श्विक सड़क परियोजना के अन्तर्गत बिहार के मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा के 85 किलोमीटर क्षेत्र में एक सड़क बनाई जानी थी ?

नौबहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) :

(क) से (ख). संविधान के अन्तर्गत, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है । राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं । परन्तु केन्द्रीय सरकार सुरक्षा तथा अन्य ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनो हुई राज्य सड़कों के लिए तब वित्तीय सहायता भी देती है जब और जैसे संबंधित सुरक्षा प्राधिकरण किसी विशेष मांग का प्रस्ताव करता है ।

पार्श्ववर्ती सड़क का निर्माण भी केन्द्रीय खर्च पर ही हुआ है । यह उत्तर प्रदेश में बरेली से शुरू होती है और बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए असम में अमोनगांव तक जाती है । सम्पूर्ण स्वीकृत पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना प्रायः पूरी हो चुकी है, केवल असम में कुछ छोटे छोटे पुलों और उनके पहुँचमार्गों को छोड़ कर, जिनके लिए राज्य सरकार से इन्हें भीषण पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है ।

वास्तव में उस खण्ड में भी सड़क, अस्थायी सड़कों के जरिए यातायात के लिए खुली है ।

(ग) संभवतया सदस्य महोदय का आशय दरभंगा-फारबीसगंज योजना सड़क के निर्माण से है । यह एक राज्य सड़क है और यदि आवश्यक समझा गया तो इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार को ही करना होगा ।